एक स्मार्ट विकल्प चुनने के लिए, हमसे अभी संपर्क करें	
वेबसाइट	reliancegeneral.co.in
कॉल	1800 3009 (टोल फ्री) 022-4890 3009 (सशुल्क)
वॉट्सएप	74004 22200

हमारे इंश्योरेन्स एड्वाइजर से संपर्क करें

ब्रोबोट स्पीड चाहिए?
हमारे साथ डिजिटल बनिए।

Reliance Selfi

छिंटों की निषिद्धता – बीमा अधिनियम, 1938 के अनुच्छेद 41 के अनुसार, जैसा बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित है।
किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी नहीं लेगा या उसका नवीनीकरण नहीं करवाएगा या उसे जारी नहीं रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो। इस अनुच्छेद के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

लाभों, संरक्षण, नियमों व शर्तों तथा अपवर्जनों की पूरी जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट www.reliancegeneral.co.in पर विज़िट करें और कृपया बिक्री के समापन से पहले सेल्स ब्रोशर, प्रॉस्पैक्टस और पॉलिसी की शब्द-योजना को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टैक्स संबंधी कानूनों को बदला जा सकता है।

आईआरडीएआई रजिस्ट्रेशन नं. 103. रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड,
पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय: रिलायंस सेन्टर, साउथ विंग, चौथी मंजिल, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई-400 055. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर: U66603MH2000PLC128300.
रिलायंस टू-व्हीलर पैकेज पॉलिसी UIN: IRDAN103RP0011V02100001.
टू-व्हीलर के लिए दैनिक भत्ता लाभ UIN: IRDAN103RP0011V02100001/A0002V02201415.
टू-व्हीलर के लिए हेलमेट बीमा-सुरक्षा UIN: IRDAN103RP0011V02100001/A0033V02200910.
टू-व्हीलर के लिए ईएमआई सुरक्षा UIN: IRDAN103RP0011V02100001/A0007V02201415.
टू-व्हीलर के लिए शून्य ह्रास UIN: IRDAN103RP0011V02100001/A0004V02200910.
उपरोक्त प्रदर्शित ट्रेड लोगो अनिल धीरूभाई अंबानी वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड का है और इसे लाइसेंस के अंतर्गत रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड द्वारा उपयोग किया जाता है। रेट्स केवल थर्ड पार्टी के लिए निश्चित हैं*। किसी शब्द या अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए कृपया अंग्रेजी विवरणिका भी देखें*

हमें यहाँ फॉलो करें

An ISO 9001:2015 Certified Company

RGI/MCOM/CO/RTWPP/BR/VER.2.0/131120.

हमारा वादा, इनकी बीमा-सुरक्षा का

वाहन को क्षति (मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार)

- मरम्मत/प्रतिस्थापन के लिए खर्च की गई वास्तविक राशि।
- टायरों (प्रतिस्थापन खर्च का 50%), प्लास्टिक/रबर के पुर्जे (50%), फ़ायबर ग्लास के अवयव (50%) और ग्लास के पुर्जे (शून्य)।
- लकड़ी के पुर्जों सहित अन्य पुर्जों को क्षति।

तृतीय पक्ष दायित्व (मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार)

- तृतीय पक्षों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक चोट।
- टू-व्हीलर में ले जाए जा रहे किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे शारीरिक चोट, बशर्ते वे बीमित व्यक्ति के कर्मचारी नहीं हों और उन्हें किराए या पुरस्कार के लिए नहीं ले जाया जा रहा हो।
- तृतीय पक्ष की संपत्ति को क्षति।

दावा करने के आसान कदम

हमें 1800 3009 पर तुरंत कॉल करके या रिलायंस सेल्फी ऐप का उपयोग करके अपने दावे की सूचना दें।

अपने टू-व्हीलर को मरम्मत के लिए किसी भी गैरेज में ले जाएँ।
नकद-मुक्त दावों के लिए – अपने टू-व्हीलर की मरम्मत हमारी कंपनी के अधिकृत नेटवर्क गैरेजों पर करवाएँ। हम मरम्मत के बिलों का निपटान सीधे गैरेज के साथ, देय राशि तक करेंगे।
प्रतिपूर्ति दावों के लिए – अगर आप अपने किसी पसंदीदा गैरेज को चुनते हैं, तो आप उसे मरम्मत शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं और इसके निपटान के लिए मरम्मत के बिलों और रसीदों को हमारे पास जमा कर सकते हैं।

सर्वेयर/आरजीआई के पास आवश्यक दस्तावेज़ जमा करवाएँ और फिर सर्वेयर/आरजीआई द्वारा उपलब्ध करवाए गए आकलन के अनुसार मरम्मत करवाएँ।

टू-व्हीलर की मरम्मत हो जाने तथा इनवॉइस आरजीआई के पास जमा होने के बाद, इसके अनुसार आरजीआई द्वारा दायित्व और वाहन की डिलीवरी की पुष्टि की जाएगी।

हमारी बीमा-सुरक्षा आपके लिए, और उनके लिए भी

इस व्यापक बीमा-सुरक्षा में हम आपके टू-व्हीलर को होने वाले नुकसान से बीमा-रक्षित करते हैं तथा साथ ही इससे प्रभावित तृतीय पक्ष की संपत्ति या वाहन का भी खयाल रखते हैं।

इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा-रक्षित आपदाएँ

यह पॉलिसी निम्नांकित के कारण वाहन को होने वाली क्षति या नुकसान को बीमा-रक्षित करती है:

- दुर्घटना
- अग्नि
- तड़ित (आकाशीय विद्युत)
- स्वत: प्रज्वलन
- विस्फोट
- चोरी, दंगा, हड़ताल, या दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां
- आतंकवाद
- भूकंप
- बाढ़
- चक्रवात
- आप्लावन
- रेल, सड़क, हवाई मार्ग तथा एलिवेटर द्वारा परिवहन

इस पॉलिस में इन्हें छोड़कर सबकुछ बीमा-रक्षित है^

काश, हम आपको हर चीज़ के लिए बीमा-सुरक्षा दे सकते। लेकिन फिर भी हम यह सुनिश्चित करते हैं कि दावा करते समय आपके सामने कोई अप्रिय स्थिति न आए, इसलिए हम यहाँ इस पॉलिसी के कुछ प्रमुख अपवर्जनों की सूची दे रहे हैं।

- वाहन का सामान्य घिसाव तथा टूट-फूट
- मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन
- वाहन का इस्तेमाल की सीमाओं से भिन्न रूप में इस्तेमाल किया जा रहा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने टू-व्हीलर का इस्तेमाल कमाई करने के लिए कर रहे हों।
- वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने वाले द्वारा/को क्षति
- अल्कोहॉल या किसी अन्य मादक द्रव्य के नशे में वाहन चलाते समय हानि या क्षति
- वाहन के मूल्य के डेप्रिशिएशन के कारण हानि या क्षति
- परिणामी हानि – अगर मूल क्षति के कारण परवर्ती क्षति/हानि पैदा होती है, तो केवल मूल क्षति को संरक्षित किया जाएगा।
- अनिवार्य डिडक्टिबल्स – दावे के समय एक निश्चित राशि को काटा जाता है

^यह सूची सांकेतिक है। सामान्य एवं स्थाई अपवर्जनों को विस्तृत रूप से समझने के लिए हमारी वेबसाइट www.reliancegeneral.co.in पर उपलब्ध सूचीपत्र/पॉलिसी शब्दावली पढ़ें।

Digital India Power To Empower | RELIANCE GENERAL INSURANCE | CSC e-Governance Services India Limited

मोटर इंश्योरेन्स

रिलायंस टू-व्हीलर पैकेज पॉलिसी

रास्ते चाहे जितने मुश्किल हों, हमारी बीमा-सुरक्षा है सीधी, सरल और त्वरित।

Tech+ ♥ = Live Smart

क्या आप अपने काम के लिए किसी नए शहर में जा रहे हैं, या आपको कॉलेज में बढ़िया ग्रेड मिली है... एक नया टू-व्हीलर खरीदने का कारण चाहे जो भी हो, पर ये हमेशा खुशी का एक बेहतरीन मौका होता है। इसलिए चाहे आप जैसे भी चलें, पर अपने टू-व्हीलर के साथ आपकी बेहतरीन राइड की ज़रूरत और अपनी राइड में कोई परेशानी आने पर उसमें मदद के लिए एक परेशानी-रहित बीमा की आवश्यकता तो हमेशा ही रहेगी। इसीलिए रिलायंस जनरल इंश्योरेन्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी बीमा-सुरक्षा, जिसमें आपको त्वरित सहायता के लिए तकनीक की सुविधा मिलती है और साथ ही ऐसी सहृदयता भी, जिसमें हम आपकी टू-व्हीलर संबंधी आवश्यकताओं का खयाल रखते हैं।

रिलायंस टू-व्हीलर पैकेज पॉलिसी Tech + ♥ के साथ
***Live* Smart का एक नया तरीका है।**

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार आपके टू-व्हीलर के लिए तृतीय पक्ष दायित्व बीमा-सुरक्षा अनिवार्य है।

हमें चुनने के 5 स्मार्ट कारण

तुरंत मतलब तुरंत ही होता है!

बीमा पॉलिसी खरीदना आपके लिए एक काम हो सकता है, पर हम कहते हैं कि इससे आसान और कुछ नहीं है। और ये केवल कहने की बात नहीं है, इसके लिए आपके पास होनी चाहिए अपनी पुरानी पॉलिसी और आपके फ़ोन में एक कैमरा, और बस आपकी पॉलिसी तैयार हो जाएगी केवल 60 सेकंड में। ओसीआर टेक्नोलॉजी-पॉवर्ड रिलायंस सेल्फी ऐप की मदद से बस स्कैन करें, देखें और भुगतान करें। इसीलिए तो हम कहते हैं, तुरंत यानी तुरंत!

एक पॉलिसी। अनेक ज़रूरतें।

हम आपको देते हैं चुनने की आज़ादी। एक बीमा-सुरक्षा आपको ऐसी सुरक्षा देती है जो सभी टू-व्हीलरों के लिए आम होती है, लेकिन आप कहाँ रहते हैं, से लेकर आप अपनी गाड़ी को कितना चलाते हैं, इससे इस सुरक्षा की ज़रूरत बदलती रहती है। इसलिए हमारे साथ आपको अपनी पसंद और ज़रूरत के अनुसार चुनने के लिए अनेक प्रकार के एड-ऑन मिलते हैं।

आपके करीब, चाहे आप कहीं भी हों।

आप शहर के किसी भी कोने में ड्राइव कर रहे हों, हम 1200+ नेटवर्क गैरेजों के अपने विशाल नेटवर्क के साथ हमेशा आपके करीब रहेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम हर जगह आपको कैशलेस दावे की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी जब आपका टू-व्हीलर रिपेयर हो रहा हो, तो आप निश्चिंत रहें, हम गैरेज के साथ आपके दावे का निपटान सीधे कर देंगे।

हम केवल एक विडियो स्ट्रीम की दूरी पर हैं।

अगर आप अपने टू-व्हीलर में किसी खराबी के कारण ट्रैफ़िक में या हाईवे पर फँस जाएँ, तो चिंता ना करें, बस अपना फोन उठाएँ, रिलायंस सेल्फी ऐप खोलें और हमारे साथ लाइव विडियो स्ट्रीम के ज़रिए तुरंत दावा सहायता प्राप्त करें। हम या तो उसी जगह पर मरम्मत के लिए तुरंत सहायता भेजेंगे या फिर उसे ठीक करने के लिए निकटतम गैरेज पर भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

दावा नहीं, तो बोनस पक्का।

अगर किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान दावा नहीं होता है, तो ये भी अच्छी खबर है, आपके टू-व्हीलर के लिए भी और आपकी बीमा प्रीमियम के लिए भी, क्योंकि एनसीबी (नो क्लेम बोनस) के साथ आपको अपनी प्रीमियम पर 50% तक की छूट मिल सकती है। साथ ही आपके पास स्वैच्छिक कटौतियों का विकल्प भी होता है, जिसे प्रीमियम की राशि कम करने के लिए चुना जा सकता है। ₹500 से ₹1500 के बीच कटौती को चुना जा सकता है, जिससे प्रीमियम 5% से 20% तक कम हो जाएगी।

एड-ऑन! क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत है।

सुरक्षा पूरी, ह्रास कुछ नहीं

जब आप इस तरह की किसी व्यापक बीमा-सुरक्षा में कोई दावा करते हैं, तो ऐसे दावे का भुगतान वाहन के बदले गए पुर्ज़ों की ह्रास लागत की कटौती करने के बाद किया जाता है, विशेष रूप से ऐसे पुर्ज़े जो रबर, नायलॉन, फ़ाइबर आदि के बने होते हैं। एक ''शून्य ह्रास बीमा-सुरक्षा'' जिसे ''बम्पर-टू-बम्पर बीमा-सुरक्षा'' भी कहा जाता है, की मदद से आप इस कटौती से बच सकते हैं और पूरे दावे की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी बाइक नई है या आपने अभी-अभी बाइक चलाना सीखी है या आपको शहर के भीड़-भरे ट्रैफ़िक में बाइक चलानी पड़ती है, तो इसे ज़रूर अपनाएँ।

रोज़ाना राइड करने में कभी कोई हर्ज नहीं होगा।

हम इस बात से इंकार नहीं कर सकते कि नुकसान होते हैं! हालाँकि हम अपनी गाड़ी को उस हालत में देखना नहीं चाहते, पर हमें उसकी सही ढंग से मरम्मत करवाने के लिए उसे गैरेज में छोड़ना पड़ सकता है और अपना सफ़र अपनी व्यवस्था से तय करना पड़ सकता है। समस्या तब शुरू होती है, जब आपको सफ़र करते समय अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारे दैनिक भत्ता लाभ# एड-ऑन के अंतर्गत आपको उस स्थिति में ₹5000/- तक की एक भत्ता सीमा प्राप्त होती है, जब आपका वाहन मरम्मत के लिए किसी अधिकृत नेटवर्क गैरेज पर 2 दिन से अधिक समय तक खड़ा रहता है।

अभी रुकिए... दो फ़ायदे और भी हैं

गाड़ी रुक सकती है, पर उसकी ईएमआई नहीं रुकेगी।

कई बार कुछ ऐसे नुकसान होते हैं, जिन्हें ठीक होने में समय लगता है, न केवल हमें, बल्कि हमारे टू-व्हीलर को भी। अगर आपकी गाड़ी मरम्मत के लिए किसी अधिकृत सर्विस सेन्टर पर 30 दिन से अधिक समय तक खड़ी रहती है, तो हम आपकी चल रही ऑटो लोन ईएमआई का खयाल रखते हैं। जी हाँ, 'ईएमआई प्रोटेक्शन कवर' के साथ हम आपके टू-व्हीलर लोन की 3 ईएमआई तक सीधे आपके बैंक को चुकाते हैं। अगर आपने अपने सपनों की महँगी बाइक को लोन लेकर खरीदा है तो यह बीमा-सुरक्षा ज़रूर चुनें, क्योंकि आपके स्कूटर की लंबे समय तक चलने वाली मरम्मत आपकी बचत को चट कर सकती है।

हेलमेट ज़रूरी है, और इसकी सुरक्षा भी

आपके लिए अपना टू-व्हीलर चलाते समय हेलमेट पहनना सबसे महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक होता है। इसलिए समझौता मत कीजिए, न तो अपनी सुरक्षा के साथ, और न ही अपने हेलमेट की सुरक्षा के साथ। हेलमेट कवर** एड-ऑन के अंतर्गत बीमित वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसी प्रकार और मॉडल के क्षतिग्रस्त या नष्ट हो चुके हेलमेट को बदलने हेतु एक भत्ता प्राप्त होता है।

#भत्ता सीमा ₹5000/- प्रति दिन। एकमुश्त चोरी लाभ, यदि वाहन नहीं मिलता है <=90 दिन। और प्रति पॉलिसी अवधि 2 दावे लागू।
**यह पॉलिसी अवधि के दौरान अधिकतम केवल एक दुर्घटना के लिए उपलब्ध होगा और यह चोरी संबंधी दावों के लिए उपलब्ध नहीं है। कटौती-योग्य बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित बीमाकृत राशि का 5% है और इसमें विकृति तथा टूट-फूट के कारण होने वाली क्षति बीमा-रक्षित नहीं होगी।

रिलायंस टू-व्हीलर पैकेज पॉलिसी। UIN: IRDAN103RP0011V02100001.